संख्या- /2026/188/22-4-2026-2023520

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-5057/नम-3/कार्य योजना/2025-26, दिनांक 12.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों के अलग-अलग **07 निर्माण कार्यों** हेतु कुल धनराशि रू0 1878.09 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित एकमुश्त **धनराशि रू0 1878.09 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ अठहत्तर लाख नौ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	कारागार का नाम	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	जिला कारागार बहराइच	30 क्षमता की 01 नग महिला बैरक का निर्माण	116.95	116.95
2	जिला कारागार अलीगढ़	पुरानी बैरकों को तोड़कर 02 नग नवीन बैरक इनक्लोजरवॉल लगभग 300 मी0 सहित	235.04	235.04
3	जिला कारागार गोण्डा	पुरानी बैरक के स्थान पर नवीन 30 क्षमता की 02 नग बैरकों का निर्माण तथा 100 मी0 इनक्लोजरवॉल	286.22	286.22
4	केन्द्रीय कारागार नैनी	पुरानी बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 02 नग बैरक का निर्माण	240.95	240.95
5	केन्द्रीय कारागार	पुराने बैरक को तोड़कर नवीन 30	483.59	483.59

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	फतेहगढ़	क्षमता की 02 नग बैरक इनक्लोजरवॉल लगभग 325 मी0 सहित		
6	जिला कारागार बुलन्दशहर	30 क्षमता की 02 नग बैरक इनक्लोजरवॉल लगभग 300 मी0 सहित	465.12	465.12
7	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	द्वितीय चक्र में बैरक संख्या-1-2 के मध्य पार्टीशनवॉल (लम्बाई लगभग 80 मी0) का निर्माण	50.22	50.22
		योग-	**1878.09**	**1878.09**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा आवश्यकता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारंभ कराया जाए।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(13) महानिरीक्षक, कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों पर कोई अतिरिक्त चार्जेज देय नहीं होगें। स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जायेंगे। यदि कार्य की लागत अथवा समय-सीमा बढ़ती है, तो सम्बान्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 18,78,09,000 (रुपये अठारह करोड़ अठहत्तर लाख नौ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 025 लेखा शीर्षक 4059800510300 कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2026/188(1)/22-4-2026-2023520, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बहराइच/अलीगढ़/गोण्डा/नैनी/फर्रूखाबाद/बुलन्दशहर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) कोषाधिकारी, कोषागार, बहराइच/अलीगढ़/गोण्डा/नैनी/फर्रूखाबाद/बुलन्दशहर।
(9) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार बहराइच/अलीगढ़/गोण्डा/नैनी/फर्रूखाबाद/बुलन्दशहर।
(10) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।